72

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2093–तीन/2000 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–2000 – पारित व्दारा – आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 77/99–2000

धनीराम पुत्र हीरालाल कुशवाह
ग्राम ग्राम बीरमपुरा तहसील जौरा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश —— आवेदक

विरूद्ध

1–रामगोपाल पुत्र सेवाराम ब्राहमण
ग्राम बीरमपुरा तहसील जौरा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश
2–महेश पुत्र रामदीन
3–पुन्ना उर्फ जसराम
ग्राम बीरमपुरा तहसील जौरा जिला मुरैना ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री ए0के0अग्रवाल)
(अनावेदक–1 के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 16 – 2 –2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 77/1999–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.9.2000 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बीरमपुर

के पटैल के मरने पर पद रिक्त हुआ जिसमें तीन उम्मीदवारों ने आवेदन प्रस्तुत किये। अनुवभागीय अधिकारी जौरा ने प्र0क0 1 अ-55/ 95-96 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनांक 4-6-99 से अनावेदक क-1 को पटैल पद पर नियुक्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने प्रथम अपील अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 5/98-99 में पारित आदेश दिनांक 11-1-2000 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 77/1999-2000 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 30.9.2000 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी जौरा ने जब पटैल पद के उम्मीदवारों की योग्यता पर गौर किया, उन्होंने अनावेदक कमांक-1 को पटैल पद के योग्य पाया है। तीन उम्मीदवारों में से महेश पुत्र रामदीन, पुन्ना उर्फ जसराम ने उम्मीदवारी वापिस ले ली। आवेदक से अनावेदक कमांक-1 योग्य पाया गया क्योंकि ग्राम में उसके पास 23 वीघा 13 विसवा भूमि पाई गई एंव अनावेदक क-1 कक्षा आठ तक पढ़ा है । पुलिस व्दारा उसका व्यवहार एंव चाल-चलन अच्छा होना बताया गया। इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक क-1 को पटैल पद हेतु उपयुक्त मानते हुये नियुक्ति प्रदान की जिसके कारण अपर कलेक्टर एंव आयुक्त चम्बल संभाग ने भी अनुविभागीय अधिकारी जौरा के आदेश दिनांक 4-6-99 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना

है। वैसे भी तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 77/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.9.2000 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर